# अधिसूचना

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (कमांक-22 सन् 2005) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

## नियम

## अध्याय—1 प्रारंभिक

- संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सूचना का अधिकार (फीस तथा अपील) नियम, 2005 है।
  - (2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन के दिनांक से लागू होंगे।
- 2. परिभाषायें :- इन नियमों में, जबतक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
  - (क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (कमांक—22 सन् 2005);
  - (ख) " गरीबी रेखा से नीचे" से अभिप्रेत से है ऐसा नागरिक जिसे मध्यप्रदेश शासन द्वारा गरीबी रेखा से नीचे होना घोषित किया गया हो ;
  - (ग) ''लागत'' से अभिप्रेत है कि अधिनियम की घारा 2 के खण्ड (च) में यथापरिभाषित सूचना को प्रदान करने के लिये प्रभार्य लागत;
  - (घ) "फीस" से अभिप्रेत है अधिनियम के उपवंधों के अन्तर्गत देय फीस;
  - (ड.) "प्ररूप" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप;
  - (च) "धारा" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा;
  - (छ) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों का जो परिभाषित नहीं किए गए हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित हैं।

## अध्याय–2 फीस

- 3. (1) अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4)के अंतर्गत अधिनियम के अधीन सामग्री प्राप्त करने हेतु प्रत्येक वह व्यक्ति जो गरीबी रेखा के नीचे नहीं है, उसके लिए 10 रूपए के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प के साथ या नगद भुगतान कर उसकी रसीद के साथ स्वयं उपस्थित होकर आवेदन राज्य लोक सूचना अधिकारी, राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। यदि आवेदन डाक द्वारा प्रेषित किया जाता है तो आवेदक दस रूपए के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प संलग्न करेगा।
  - (2) यथास्थिति, राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने पर सूचना की विषय वस्तु की छपाई लागत या मीडियम लागत मूल्य, जैसा कि उक्त अधिकारी द्वारा नियत किया जाए, नकद या नान ज्यूडिशियल स्टाम्प से रूप में आवेदक राज्य लोक सूचना अधिकारी के पास जमा करेगा। आवेदक द्वारा यदि राशि नगद जमा की जाती है तो राज्य लोक सूचना अधिकारी या उनके द्वारा निर्देशित अधिकारी द्वारा उसकी रसीद प्रदाय की जाएगी। ऐसी जमा की गई राशि कोषालय में चालान द्वारा जमा की जाएगी।
- 4. धारा—6 की उपधारा (1) तथा धारा 7 की उपधारा (1) के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने वाला वह व्यक्ति जो गरीबी रेखा के नीचे नहीं है, यथा स्थिति संबंधित राज्य सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को, उसके लिए दस रूपए के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प या नकद भुगतान कर उसकी रसीद के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- 5. (1) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत जहाँ सूचना की पहुँच छपे हुए (मुद्रित) या किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप / फार्मेट में उपलब्ध कराई जाना है तो ऐसी सूचना का वास्तविक लागत जैसा कि यथास्थित राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाए, नकद या नान ज्यूडिशियल स्टाम्प के रूप में ऐसे आवेदक द्वारा जो गरीबी रेखा के नीचे नहीं है, ऐसे अधिकारी के समक्ष जिसे लोक प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाए, निर्देश देने के तीन दिवस के अन्दर जमा करेगा।
  - (2) यदि आवेदक किसी दस्तावेज या अभिलेख का निरीक्षण करना चाहता है तो राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी, इस प्रयोजन के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारी को प्रतिनियुक्त करेगा और आवेदक जो गरीबी रेखा से नीचे नहीं है उसके लिए एक घण्टे या उससे कम के लिए रूपये 50/— (पचास रूपये) का भुगतान करेगा और तत्पश्चात् प्रत्येक 15 मिनिट या उसके भाग के लिए 25/— (पच्चीस रूपये) नकद या नान ज्यूडिशियल स्टाम्प के रूप में प्रभारित किये जाएंगे।

- (3) यदि आवेदक किसी सामग्री का प्रमाणिक नमूना लेना चाहता है तो राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा उस नमूने की निर्धारित लागत, आवेदक ऐसे अधिकारी को जैसा कि उक्त अधिकारी द्वारा निदेशित किया जाए, नकद या नान ज्यूडिशियल स्टाम्प के रूप से जमा करेगा।
- (4) जहाँ ऐसी सूचना का भण्डारण कम्प्यूटर में किया गया है तो ऐसी सूचना के डिस्केट्स या फ्लापी या टेप या वीडियो या केसेट का वास्तविक लागत जैसी कि राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाए, आवेदक द्वारा नकद में या नान ज्यूडिशियल स्टाम्प के रूप में जमा की जाएगी।

**6.** 

# अध्याय—3 वेतन तथा सेवा शर्ते.

अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत पदस्थ किए गए अधिकारियों तथा कर्मचारियों को ही वेतन तथा भत्ते देय होंगे जैसा कि वे पदस्थ होने के पूर्व से प्राप्त कर रहे थे तथा उनकी सेवाओं के लिए वही नियम लागू होंगे जो उनको पदस्थ होने के पूर्व लागू, थे।

# अध्याय–4 अपील

(1) प्रथम अपील यदि कोई व्यक्ति धारा ७ की उप-धारा (1) अथवा उप-धारा (3) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर विनिश्चय प्राप्त नहीं करता है या प्राप्त नहीं होता है अथवा वह राज्य लोक सूचना अधिकारी के विनिश्चय से व्यथित है, वह ऐसी कालावधि के व्यतीत होने के तीस दिवस के भीतर अथवा ऐसे विनिश्चय के प्राप्ति के तीस दिवस के भीतर ऐसे अधिकारी को जो राज्य लोक सूचना अधिकारी से, वरिष्ठ हो को अपील, अपील के ज्ञापन के साथ 50 / - (पचास रूपए) का शुल्क या नान ज्यूडिशियल स्टाम्प के साथ प्रस्तुत कर सकेगाः

परन्तु यह कि ऐसा अपीलीय अधिकारी तीस दिवस की कालावधि के पश्चात् भी अपील सुनवाई के लिए ग्रहण कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी पर्याप्त करणों से अपील समयावधि में प्रस्तुत करनें में विफल रहा है।

(2) अपील के ज्ञापन में अपीलार्थी का नाम व पता, सूचना के आधार की विषय वस्तु, सक्षम अधिकारी का नाम तथा पदनाम के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना देने अथवा फीस का भुगतान करने के आदेशों का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।

- (3) उपनियम (1) के अन्तर्गत अपील प्राप्त किए जाने से तीस दिवस के भीतर या ऐसी विस्तारित कालावधि के भीतर, जो अपील फाइल करने की तारीख से कुल मिलाकर पैंतालीस दिवस से अधिक नहीं हो, यथास्थिति, लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए निपटाई जाएगी।
- (4) अपील में पारित आदेश की प्रति निःशुल्क अपीलार्थी को प्रदाय की जाएगी।
- 8. (1) <u>द्वितीय अपील</u>—नियम 7 के उप नियम (3) के अधीन विनिश्चय के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग को इस तारीख से नब्बे दिवस के भीतर प्रस्तुत की जा सकेगी जिस तारीख को विनिश्चय पारित हो गया होना चाहिए अथवा उस तारीख से जब विनिश्चय वास्तविक रूप से प्राप्त किया गया है:

परन्तु यह कि राज्य सूचना आयोग नब्बे दिवस की कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी अपील सुनवाई के लिए ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील प्रस्तुत करने में प्रयाप्त कारणों से विफल रहा है।

- (2) राज्य सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत अपील के ज्ञापन के साथ रूपए 100 / – (रूपए सौ) की फीस नकद या नान ज्यूडिशियल स्टाम्प के रूप में जमा करना होगा।
- (3) राज्य सूचना आयोग द्वारा, यथास्थिति, लोक प्राधिकारी अथवा राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपीलार्थी को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् अपील प्रस्तुत होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए अपील का निराकरण करेगा।
- (4) राज्य सूचना आयोग का विनिश्चय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
- (5) राज्य सूचना आयोग के विनिश्चय की प्रति अपीलार्थी को तिःशुल्क प्रदाय की जाएगी परन्तु यदि अपीलार्थी आदेश की प्रति डाक द्वारा प्राप्त करना चाहता है तो अपीलार्थी से डाक शुल्क प्राप्त कर तीन दिवस के अन्दर भेजी जाएगी।
- 9. नियम 7 एवं 8 के अन्तर्गत देय फीस ऐसे व्यक्तियों से जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, से प्रभारित नहीं की जायेगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

### **NOTIFICATION**

In exercise of the powers conferred by section 27 of the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005), the State Government, hereby makes the following rules, namely:-

#### RULES

#### CHAPTER - 1

## **Preliminary**

- Short title and commencement: (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Right to Information (Fees and Appeal) Rules, 2005.
- (2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.
- 2. <u>Definitions</u>: In these rules, unless the context otherwise requires,--
  - (a) "Act" means the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005);
  - (b) "Below Poverty Line" means such citizen of State who is declared as below poverty line by the Government of Madhya Pradesh;
  - (c) "Cest" means the cest which is chargeable for providing information as defined in clause (f) of section 2 of the Act;
  - (d) "Fees" means the fees payable under the provisions of the Act;
  - (e) "Forms" means the forms attached to these rules;
  - (f) "Sections" means the sections of the Act;
  - (g) the words used in these rules but not defined shall have the same meanings as they are defined in section 2 of the Act.

#### CHAPTER - 2

#### Fees

5

3. (1) Any person, who is not below the poverty line, desires any material under sub-section (4) of section 4 of the Act, shall submit an application himself,

to the State Public Information Officer/State Assistant Public Information Officer with non-judicial stamp of Rs. 10/- or with the receipt of Rs. 10/- (Rupees ten) after making payment in cash therefor. If the application is being sent by post, the applicant shall enclose the non-judicial stamp of Rs. 10/- (Rupees ten).

- (2) After receiving the application by the State Public Information Officer or the State Assistant Public Information Officer, as the case may be, the printing cost or medium cost price of the material of the information as determined by the above Officer shall be deposited by the applicant to the above said Officer in cash or in the form of non-judicial stamp. If the amount is deposited in cash by the applicant, the State Public Information Officer or the officer as directed by him shall give a receipt of such amount. The amount so deposited shall be deposited into the treasury by a challan.
- 4. Any person, who is not below the poverty line, desires to seek an information under sub-section (1) of section 6 and sub-section (1) of section 7 of the Act shall produce the application before the Public Authority or State Public Information Officer or State Assistant Public Information Officer, as the case may be, with the non-judicial stamp of Rs. 10/- (Rupees ten) or with the receipt of Rs. 10/- (Rupees ten) therefor by paying in cash.
- 5. (1) For the purposes of sub-section (5) of section 7 where access to information is to be provided in the printed or in any electronic format, the applicant, who is not below the poverty line, shall deposit the actual cost of the information as determined by the Public Authority or State Public Information Officer or State Assistant Public Information Officer in cash or in the form of non-judicial stamp within three days from the date of direction to such officers as directed by the Public Authority or State Public Information Officer.
- (2) If the applicant wants to examine any document or record, the State Public Information Officer or State Assistant Public Information Officer shall depute any sub-ordinate officer for such purpose and the applicant, who is not below the poverty line, shall pay Rs. 50 (Rupees Fifty) for one hour or less than one hour and thereafter Rs. 25 (Rupees Twenty Five) shall be charged for every 15 minutes

or fraction thereof in cash or in the form of non-judicial stamp.

- (3) If the applicant wants the certified sample of any material, the cost determined value by the State Public Information Officer or State Assistant Public Information Officer of such material shall be deposited by the applicant to such officer who is directed by the State Public Information Officer, in cash or in the form of non-judicial stamp.
- (4) Where the information is stored in the computer, the actual cost of the diskettes or floppies or video cassettes as determined by the State Public Information Officer or State Assistant Public Officer shall be deposited by the applicant in cash or in the form of non-judicial stamp.

### CHAPTER - 3

## Pay and other Service Conditions

6. The officers and servants deputed under sub-section (6) of section 16 shall be paid the same pay and allowance as they were receiving before deputation and for these service conditions the same rules shall be applicable to them as were applicable before such deputation.

### CHAPTER - 4

#### **Appeal**

7. <u>First Appeal</u>: (1) Any person who does not receive a decision within the time specified in sub-section (1) or clause (a) of sub-section (3) of section 7, or is aggrieved by a decision of the State Public Information Officer, may within thirty days from the expiry of such period or from the receipt of such a decision prefer an appeal, with a memorandum of Appeal and the fee of Rs. 50/- (Rupees fifty) either in cash or in the form of non-judicial stamp, to such officer who is senior in rank to the State Public Information Officer in each Public Authority:

Provided that such officer may admit the appeal after the expiry of the period of

thirty days if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

- (2) In the memorandum of appeal the name and address of the appellant, the basis of the subject matter of the information, with the name and the post of the competent officer, the orders of the competent authority and payment of fee shall be clearly specified.
- (3) An appeal under sub-rule (1) shall be disposed of within thirty days of the receipt of the appeal or within such extended period not exceeding a total of forty five days from the date filing thereof, as the case may be, for reasons to be recorded in writing.
  - (4) The copy of order passed in appeal shall be given free of cost.
- 8. Second Appeal: (1) A second appeal against the decision under sub-rule (3) of rule 7 shall lie within ninety days from the date on which the decision should have be made or was actually received, with the State Information Commission:

Provided that the State Information Commission may admit the appeal after the expiry of the period of ninety days if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

- (2) With the memorandum of appeal filed before the State Information Commission the fee of Rs. 100/- (Rupees One hundred) in cash or in the form of non-judicial stamp shall be deposited.
- (3) The State Information Commission shall after giving reasonable opportunity of being heard to Public Authority or State Public Information Officer or appellant, as the case may be, disposed of the appeal within thirty days from the date of the receipt of the appeal for reasons to be recorded in writing.
- (4) The decision of the State Information Commission shall be final and binding.
- (5) A copy of the decision of the State Information Commission shall be given free of cost, if the appellant wants to receive the copy of the order by post then after receiving the fee of postal charges shall be sent within three days.

9.	The fee chargeable	under rule 7	and 8 shall	not be	charged from;	the persons
wh	o are of below povert	y line.				

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

# सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा (6) (1) के अतर्गत आवेदन पत्र का प्रारूप)

1.	आवेदक का नाम
2.	पूरा पता / ई-मेल / फैक्स जिस पर जानकारी प्रेषित की जाना है
	***************************************
3.	दूरभाष क्रमांक
4.	आवेदन देने का दिनांक
5.	कार्यालय का नाम
6.	चाही गई जानकारी का विवरण
7.	क्या चाहते है नकल / निरीक्षण / रिकार्ड निरीक्षण / रिकार्ड की प्रमाणित प्रति / प्रमाणित नमूना
8.	आवेदक के साथ अदा किये जाने वाले प्रोसेस फी -रूपये 10/- नगद/स्टॉम्प (वीपीएल सूची के सदस्य को देय नहीं)
.2	रसीद क्र. एवं दिनांक
9.	क्या आवेदक गरीबी की रेखा के नीचे है अथवा नहीं— हां / नहीं
	यदि हा तो वी.पी.एल. सूची का अनुक्रमांक
F	हस्ताक्षर (आवेदनकर्ता)
टीपः— चरपा	यदि आवेदक द्वारा डाक से आवेदन प्रेषित किया जाता है तो आवेदन पत्र पर रूपये 10 / — का नान ज्यूडिशियल स्टाम्प करते हुए स्वयं का पता अंकित करते हुए आवश्यक राशि का डाक टिकिट लगा लिफाफा संलग्न प्रेषित करं।
	पावती
	1. आवेदन प्राप्त होने का दिनांक
	2. आवेदनकर्ता को वांछित जानकारी प्राप्त करने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होने का दिनांक
	3. संबंधित शाखा / अधिकारी जहां से जानकारी उपलब्ध होगी
(लोक	सूचना अधिकारी / सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राधिकृत)
•	प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
	पदनाम (रबर सील)
दिनांक	

# सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 प्र आवेदक को उसके द्वारा वंाछित नकल/जानकारी/निरीक्षण हेतु निर्धारित शुल्क दिये जाने की सूचना

1.	आवेदक का नाम /पता
2.	आवेदनकर्ता का संदर्भ
3.	विषय / विवरण
4.	उपस्थिति दिनांक
	विषयांतर्गत सूचित किया जाता है कि आपके आवेदन में दिनांक के संदर्भ में चाही गई जानकारी हेतु आप
निर्धारित	त शुल्क दिनाक तक जमा कर दस्तावेज / नकल / नमूना दिनाक तक प्राप्त कर लें । यदि
दस्तावे	त शुल्क दिंनाकतक जमा कर दस्तावेज / नकल / नमूना दिंनाकतक प्राप्त कर लें । यदि ज डाक द्वारा चाहते है तो उसके लिये रजिस्टर्ड / यूपीसी / डाक व्यय सहित, स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा साथ में
संलग्न	

2. शुल्क निम्नानुसार देय होगा:-

वांछित जानकारी का प्रकार	पृष्ठ संख्या/नग/मात्रा	दर	राशि (कॉलम 2 गुणा 3)		
1	2	3	4		
कार्य संबंधी दस्तावेज जैसे					
नक्शा / प्रशासकीय स्वीकृति / तकनीकी					
स्वीकृति / अनुबंध / इस्टीमेट / आदेश,			E:		
टीप इत्यादि की प्राप्ति वित्तीय/लेखा					
संबंधी दस्तावेज इत्यादि सैम्पल अन्य					

सूचना अधिकारी / सहायक सूचना अधिकारी (रबर सील)

टीप:- डाक से आवेदन प्राप्त होने पर प्रपत्र-दो डाक से प्रेषित किया जाएगा।

# सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 आवेदन पत्र संबंधित विभाग को अंतरित करने संबंधी प्रपत्र

द्वारा—	विभाग का नाम/पता
प्रति,	
विषयः	
आवेद: निर्धारि	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6) की उपधारा (3) के अंतर्गत श्रीसे प्राप्त न पत्र दिनांकको प्राप्त हुआ परीक्षण उपरांत वस्तुरिथिति आपके विभाग से संबंधित होने के कारण ति समयावधि (पांच कार्य दिवस) में आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अंतरित किया जा रहा है।
संलग्न	— मूल आवेदन लोक सूचना अधिकारी / सहायक लोक सूचना
अधिक	ारी (रबर सील)
प्रतिलि पत्र वि कार्याव	पि:— श्री को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन देनांक कार्यालय विभाग से संबंधित होने के कारण दिनांक को नय/विभाग को अंतरित कर दिया गया है। अतः कृपया आगामी कार्यावाही हेतु उक्त कार्थालय/विभागसे संपर्क करने का कष्ट करें।

हस्ताक्षर लोक सूचना अधिकारी सहायक सूचना अधिकारी

# सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 समय—सारणी

# सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अंतर्गत

2	आवेदन प्राप्त	होने पर	प्राप्तकर्ता	अधिकारी / कर्मचारी	अधिकतम	दसरे	कार्य	दिवस	तक	संबंधित	शाखा	को	भेज

आवेदन प्राप्त होने पर प्राप्तकर्ता अधिकारी/कर्मचारी अधिकतम दूसरे कार्य दिवस तक संबंधित शाखा को भेज देगा।

- असंबंधित शाखा प्रभारी ऐसे प्राप्त आयेदन से संबंधित अभिलेख अधिकतम तीन कार्यदिवस में लोक सूचना अधिकारी को अपनी टीप सहित प्रेषित करेगा कि ऐसा अभिलेख धारा 8 के अंतर्गत वर्जित तो नहीं है। शाखा प्रभारी यदि पाता है कि आवेदन उसकी शाखा से संबंधित न होकर या अन्यत्र शाखा या विभाग से संबंधित है तब ऐसी दशा में अधिकतम दूसरे कार्यदिवस तक आवेदन लोक सूचना अधिकारी / सहायक सूचना अधिकारी को भेज देगा।
- 4. लोक सूचना अधिकारी / सहायक लोक सूचना अधिकारी ऐसा अभिलेख प्राप्त होने पर अधिकतम तीन कार्य दिवसों में आवेदक को सूचना / प्रतिलिपि / सेम्पल शुल्क अदा करने के लिये निर्धारित प्रारूप में सूचित करेगें।
- 5 लोक सूचना अधिकारी / सहायक लोक सूचना अधिकारी निर्धारित शुल्क की पूर्ति होने के पश्चात् आवेदन की दिनांक से अधिकतम 30 दिवस की समयाविध में वांछित दस्तावेज / नकल / निरीक्षण / अवलोकन की कार्यवाही कर आवेदक के हस्ताक्षर प्राप्त करेगें।
  - यदि वंछित अभिलेख अन्य कार्यालय/विभाग से संबंधित है तो लोक सूचना अयाकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी निर्धारित प्रारूप में मूल आवेदन संबंधित कार्यालय/विभाग को आवेदन की दिनांक से 5 कार्यदिवस में अंतरित कर देगें। साथ ही आवेदन कर्ता को निर्धारित प्रारूप में अंतरण की सूचना देंगे।

# सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

प्रयत्र-पाच

पंजी का प्रारूप (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की घारा ६ के अंतर्गत धारित की जाने वाली पंजी का प्रारूप)

स.ज्ञ.	आवेदक का नाम संख्या/ फर्म	आवेदक का संपर्क	आवेदन प्रस्तुति का दिनांक	आवेद न प्राप्त होने	विषय	आयेदक हारा जमा किया गया शुल्क रसीद क्र.	आवेदक को उपस्थित होने के लिये दी गई	शास	संबंधि त को भेजने का	,माशक र्ता के हस्ताक्ष र	शाखा से जानकार १ प्राप्त होने का	आवेद निराक		रिमार्क
				का माध्यम		दिनांक	तिथि / शाखा		दिनांक शाखा		दिनांक	হিনা ক	स्वरू प	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

# शाखा की पंजी का प्रारूप

# सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अंतर्गत

स.	आवेदन पत्र प्राप्त होने का	आवेदक का नाम	निराकरण की	निराकरण का	प्राप्तकर्ता / ओवदक के हस्ताक्षर एंव
क्र.	दिनांक		दिनांक	स्वरूप	दिनांक
1	2	3	4	5	6